न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी- अक्षत कुमार सिंह (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 809/2024

दायर दिनांक 07.08.2024

निर्णय दिनांक 27-10-2025

उनवान

1. श्यामलाल पुत्र लादू जाति कुम्हार निवासी अगरपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा

-- प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा राज0

-- विपक्षी

उपस्थितः- 1. अधिवक्ता प्रार्थी की और से श्रवणकुमार सेन

2. विपक्षी की और से पैराकार सरकार।

:प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट बाबत् राजस्व रेकार्ड में नाम संशोधित कराये जाने बावत् :-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री श्रवण कुमार सेन ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 राजस्व रिकार्ड मे नाम संशोधित कराये जाने हेतु प्रस्तुत कर अंकित किया कि ग्राम अगरपुरा पटवार हल्का हलेड़ तहसील व जिला भीलवाड़ा मे प्रार्थी की शामलाती खातेदारी भूमि आराजी नं. 1059 व 1151 किता 2 कुल क्षेत्रफल 0.5690 हेक्टेयर भूमि है प्रार्थी की उक्त वर्णित भूमि प्रार्थी के पिता लादू आत्मज रूगनाथ कुम्हार के नाम दर्ज रिकार्ड थी , लादू की मृत्यु के पश्चात भूमि के विरासत का नामान्तकरण प्रार्थी एवं भगवान पिता लादू , एजन पत्नि लादू कुम्हार के नाम दर्ज हुआ लादू की विरासत का जो नामान्तरण दर्ज हुआ जो सही है परन्तु उक्त नामान्तरण मे प्रार्थी का नाम श्यामलाल के बजाय घनश्याम अंकित कर दिया गया जबकि प्रार्थी का वास्तविक व दस्तावेज के अनुसार सही नाम श्यामलाल है जिसे शुद्ध कराया जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम अगरपुरा पटवार हल्का हलेड़ तहसील व जिला भीलवाड़ा मे प्रार्थी की शामलाती खातेदारी भूमि आराजी नं. 1059 व 1151 किता 2 कुल क्षेत्रफल 0.5690 हेक्टेयर भूमि मे प्रार्थी का नाम घनश्याम आत्मज लादू कुम्हार के बजाय श्यामलाल आत्मज लादू कुम्हार संशोधित दर्ज किये जाने की प्रार्थना की है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया जाकर सुनवायी की गयी प्रकरण मे तहसीलदार भीलवाडा द्वारा पत्रांक भू.अ./2025/3007 दिनांक 29.08.2025 से रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार ग्राम अगरपुरा पटवार हल्का हलेड़ तहसील व जिला भीलवाड़ा मे प्रार्थी की शामलाती खातेदारी भूमि आराजी नं. 1059 व 1151 किता 2 कुल क्षेत्रफल 0.5690 हेक्टेयर भूमि मे प्रार्थी का नाम घनश्याम पुत्र लादू कुम्हार (प्रजापति) के बजाय श्यामलाल पुत्र लादू कुम्हार (प्रजापति) सा.देह संशोधित दर्ज किये जाने की अनुशंषा की है।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस मे प्रार्थना पत्र मे अंकित बिन्दुओ को दोहराते हुए ग्राम अगरपुरा पटवार हल्का हलेड़ तहसील व जिला भीलवाड़ा मे प्रार्थी की शामलाती खातेदारी भूमि आराजी नं. 1059 व 1151 किता 2 कुल क्षेत्रफल 0.5690 हेक्टेयर भूमि मे प्रार्थी का नाम घनश्याम आत्मज लादू कुम्हार के बजाय श्यामलाल आत्मज लादू कुम्हार संशोधित दर्ज कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस व तहसीलदार भीलवाड़ा की रिपोर्ट तथा पत्रावली पर उपलब्ध जेज का अवलोकन / परीक्षण किया दस्तावेजों अनुसार प्रार्थी का नाम श्यामलाल आत्मज लादू र है परन्तु तत्समय नामान्तरण दर्ज के समय प्रार्थी का नाम घनश्याम आत्मज लादू कुम्हार दर्ज कर गया। उपरोक्तानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू.राजस्व अधिनियम स्वीकार योग्य है। अतःएव्

-:आदेश :-

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट की स्वीकार किया जाकर ग्राम अगरपुरा र हल्का हलेड़ तहसील व जिला भीलवाड़ा मे प्रार्थी की शामलाती खातेदारी भूमि आराजी नं. 1059 51 किता 2 कुल क्षेत्रफल 0.5690 हेक्टेयर भूमि मे प्रार्थी का नाम घनश्याम आत्मज लादू के बजाय याम उर्फ श्यामलाल आत्मज लादू संशोधित किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। तहसीलदार वाडा उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख मे इन्द्राज कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 27-10-2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मोहर से जारी किया गया है।

(अक्षत कुमार सिंह)
[illegible]
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा